रामप्यारी बनाम अर्जनसिंह आदि

आ.प. अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. प्रकरण संख्या 12/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12.12.2024	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 फौत हो चुका है जिसके वारीस प्रकरण में पक्षकार है इसलिये अप्रार्थी सं. 1 का नाम शीर्षक से कलमजन किया जावे। जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी सं. 2 ता 7 बावजुद विधिवत रजि. नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में ली जाती है। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 496/2020 अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट को शामिल प्रार्थना पत्र किया गया। जिसमें निर्णय दिनांक 03.01.2022 को वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसके खिलाफ प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. प्रकरण को रेस्टोर किये जाने हेतु पेश किया गया। मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। न्यायहित में मूल प्रार्थनापत्र का निर्णय पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित मानते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ शामिल रहे। वाद संख्या 496/2020 को पुनः खोले जाने आदेश दिये जाते है। प्रार्थनापत्र पुनः दर्ज रजिस्टर कर वास्ते सुनवाई में रखा जाकर तारीख पेशी में लिया जावे। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कुचामन	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.20 13:05:38 IST
Reason: SelfAttested